

कार्यालय आयकर आयुक्त राजकोट-2, राजकोट  
"आयकर भवन", तीसरी मंजिल, रैसकोर्ष रिंग रोड फोन नं 2453217  
फोन नंबर - 2453217 फेक्स नंबर - 2453217

By RPAAD

सं. आ.आ.राज.-2/तक/80जी(5)/37/सर्दि/2008-09

दिनांक:- 22/7/2009


सेवा में

पीपल फोर दी रीस्पेक्ट एव एंजल ओफ अजीमल,  
पाप स्टार जवाहा, जसाबी रोड,  
राजकोट

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत छूट।  
संदर्भ : आयकर आयुक्त, राजकोट को प्रस्तुत आपका आवेदन।

पीपल फोर दी रीस्पेक्ट एव एंजल ओफ अजीमल, राजकोट -को दिए गए  
दान के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत, उस में विहित सीमाओं के अधीन  
दानकर्ता को छूट के लिए अनुमति दी जाती है।

यह छूट ता. 06-02-2009 से 31-03-2010 तक मान्य रहेगी।



जी.एम.सहाय

(जे.एम.सहाय)

आयकर आयुक्त राजकोट-2, राजकोट

दानकर्ता को जारी की गई रसीदों पर आदेश का नंबर एवं तारीख तथा छूट की अंतिम तारीख का उल्लेख करना होगा।

- 2 रसीदों एवं व्यय संबंधी खातों का वर्ष वार विवरण आयकर अधिकारी, वार्ड-2(4) राजकोट को प्रस्तुत करना होगा।
- 3 अगर अगले नवीकरण के लिए आवेदन किया जाए तो फॉर्म नंबर 10जी एवं लेखा संबंधी विवरण के साथ आयकर आयुक्त राजकोट को प्रस्तुत करते हैं। (कृपया नियम 11-एए देखें)
- 4 कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4ए) के उपबंधों को ता.1-4-1971 से लागू किया गया है। अतः प्रत्येक वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आय विवरणी दाखिल करनी होगी।

ओ.डी. परमार  
(ए.डी. परमार)/(A. D. PARMAR)  
आयकर अधिकारी (तक.)-2, राजकोट  
Income-tax Officer (Tech-2), Rajkot

प्रतिलिपि प्रेषित

1. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज 2, राजकोट
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-2(4) राजकोट को अनुरोध के साथ कि वे ट्रस्टी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी को सत्यापित करते हुए इस बात की संतुष्टि करें कि उपर्युक्त ट्रस्ट 80जी(5) में निर्धारित शर्तें पूरी करता रहा है।

( ) आयकर अधिकारी (तक.)-2

ओ.डी. परमार  
(ए.डी. परमार)/(A. D. PARMAR)  
आयकर अधिकारी (तक.)-2, राजकोट  
Income-tax Officer (Tech-2), Rajkot.